कानून की बातें

अनुसूचित जनजाति
और
अन्य परंपरागत वन निवासी
(वन अधिकारों की मान्यता)
अधिनियम, २००६
(प्रचलित नाम)
वन अधिकार अधिनियम (एफ.आर.ए.)
का
संरक्षित क्षेत्रों (पीए) में प्रासंगिकता या उपयुक्तता

KALPAVRIKSH
कल्पवृक्ष
Environmental
Action Group

प्रस्तावना

अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम २००६ (इसके बाद एफ.आर.ए. कहा जाएगा) की एक असामान्य विशेषता यह है कि हाल के कानूनों के विपरीत इसकी प्रस्तावना लंबी है। यह प्रस्तावना उस ऐतिहासिक संदर्भ के बारे में बताती हैं जिसमे यह कानून पारित किया गया एवं यह भी बताती हैं कि किन तरिकों से स्थिती का समाधान होना हैं। इसके लिए एफ.आर.ए. बताता है कि:

''वन में निवास करने वाली ऐसी अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों के, जो ऐसे वनों में पीढियों से निवास कर रहे हैं, किंतु उनके अधिकारों को अभिलिखित नही किया जा सका हैं, वन अधिकारों और वन भूमि में अधिभोग को मान्यता देने और निहित करने, वन भूमि में इस प्रकार निहित वन भूमि के संबंध में अधिकारों को ऐसी मान्यता देने और निहित करने के लिए अपेक्षित साक्ष्य की प्रकृति का उपबंध करने के लिए अधिनियम'' आगे, यह वननिवासियों के अधिकारों को मान्यता दिए जाने को बताता है, जिसमें शामिल है ''मान्यताप्राप्त अधिकारों में दीर्घकालीन उपयोग के लिए जिम्मेदारी और प्राधिकार, जैवविविधता का संरक्षण और पारिस्थितिकी संतुलन को बनाये रखना और वन में निवास करनेवाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों को जीविका तथा खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करते समय वनों की संरक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ करना...''।

प्रस्तावना आगे ऐतिहासिक संदर्भ को बताती है जिसमें अधिनियम को पारित किया गया था जैसे:

''औपनिवेशिक काल के दौरान तथा स्वतंत्र भारत में राज्य वनों को समेकित करते समय उनकी पैतृक भूमि पर वन अधिकारों और उनके निवास को पर्याप्त रुप से मान्यता नही दी गयी थी, जिसके परिणाम स्वरुप वन में निवास करने वाली उन अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों के प्रति ऐतिहासिक अन्याय हुआ हैं, जो वन परिस्थितिकी प्रणाली को बचाने और बनाये रखने के लिए अभिन्न अंग है;'' और इसलिए, प्रस्तावना यह भी बताती है कि, यह अधिनियम उन वन निवासियों के लिये आवश्यक है जो ''दीर्घकालीन या लम्बे समय के पट्टों तथा पहुंच के अधिकारों के समाधान के लिए'' और ''जिनको राज्य के विकास के कार्यो के चलते उनके निवास स्थान से पुनर्स्थापित होने के लिए बाध्य किया गया।''

प्रस्तावना से स्वयं कुछ प्रमुख सिद्धांत उभरते हैं, जिनमें

अ) एफ.आर.ए. **अधिकारों पर आधारित** अधिनियम है जो पहले से स्थापित अधिकारों के एकीकरण और मान्यता को बताता है। इसका आशय या मतलब यह है कि एफ.आर.ए. में अधिकारों के ऐतिहासिक संदर्भ को सर्वप्रमुख स्थान दिया गया है;

ब) एफ.आर.ए. यह स्वीकार करता है कि वन निवासियों और जनजातीय लोगों को ऐतिहासिक समय से रह रहे वनों में अधिकारों को मान्यता देने में भारतीय राज्य असफल रहे है;

क) जहां पहले यह समझा जाता था कि वन संरक्षण के उद्देश्य के लिए यह आवश्यक है कि वन निवासियों को वन से अलग किया जाए, वहां पहलीबार भारतीय वन कानून में वन परिस्थितिकीय तंत्र को बताने के तरीके में **अतिवादी बदलाव** को देखा गया। प्रस्तावना स्पष्ट रुप से यह बताती है कि वन निवासी समुदाय न केवल वन परिस्थितिकीय का एक हिस्सा है बल्कि वनों के आगे बने रहने और संरक्षण के लिए अनिवार्य भी हैं;

ड) वन निवासी लोगों की यह पहचान **''वन परिस्थितिकीय तंत्र के जीवित रहने और निरंतरता के लिए अनिवार्य हैं''** न कि वन परिस्थितिकीय तंत्र से उनका बहिष्कार– जिसे आगे वनों के संरक्षण के दौर या शासन को मजबूत करने के लिए **''जिम्मेदारियां और प्रधिकार''** देकर मजबूत किया गया है;

इ) उस बहस को, जो यह मानती आयी है कि जनजातीय लोगों और वननिवासी समुदायों की जीविका, संरक्षण के विरुद्ध या खिलाफ है, उसे शांत करते हुए, और उस संरक्षण के दौर या शासन को **स्पष्ट तौर पर मान्यता देता है** जो इन समुदायों की खाद्य सुरक्षा एवं जीविका को सुनिश्चित करता है। यह बात सही मायनों में वैध है।

फ) आगे, राज्य द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि बीते समय में उसके विकास के कार्यो के कारण जनजातीय लोगों एवं वनवासियों को अपने पैतृक जन्मभूमि से जबरन विस्थापित होना पड़ा था। जनजातीय लोगो एवं वनवासियों के पट्टें तथा पहुंच के अधिकारों से जुड़ी असुरक्षा को ठीक करने की आवश्यकता है।

यह स्वाभाविक है कि, जब से, २००८ से इसका क्रियान्वयन शुरु हुआ है, तब से एफ. आर.ए. के बहुत से प्रावधानों की विभिन्न व्याख्या की गयी जो व्यख्या करने वालों की सामाजिक–राजनीतिक समझ से प्रेरित थी। अधिनियम (जो मौजूदा सत्ता स्वरुपों में बदलाव का प्रयास हैं) की विरोधी व्याख्याएं अपेक्षित हैं। उपरोक्त सूची केवल निर्देशात्मक है और यह समझना अनिवार्य है कि एफ.आर.ए. की प्रस्तावना, व्याख्या के लिए मूल्यवान मार्गदर्शक स्रोत है, जिसपर आने वाले वर्षो में लगातार विचार करने की आवश्यकता है। ऐसी स्थितियों में जहां अधिनियम या नियम का कोई प्रावधान विशेष अस्पष्ट है[१] या किसी प्रावधान विशेष को दिया गया अर्थ विशेष अधिनियम को असंभव बनाता है तो न्यायालय अपने मार्गदर्शन के लिए प्रस्तावना पर निर्भर करते है। इस संदर्भ में विशेष प्रश्नों या शंकाओं तथा जुड़े आकस्मिक आनेवाले मुद्दों की जांच या परिक्षण नीचे किया गया है[२]:

---

१ इस उद्देश्य के लिए: बुर्रकुर कोल कं. लिमिटेंड बनाम यूनियन आफ इंडिया एवं अन्य (१९६२) १ यस.सी.आर.; अर्नितदास बनाम बिहार राज्य (२०००)५ यस.सी.सी. ४८८ @ पैरा १६; यूनियन आफ इंडिया बनाम एल्फिन–स्टोन स्पिन्निग एवं वेअविंग कं. लिमिटेड (२००१) ४ यस.सी.सी. १३९ @ पैरा १७।

२ इस लेख मे एफ.आर.ए. २००६, तथा वन्यजीव संरक्षण कानून (डब्लू.एल.पी.ए.) की धाराओं को पाठकों की जानकारी के लिये सरल तथा सहज बनाने के विचार से लेख में बताये गये प्रावधानों को सरल भाषा में लिखा गया है।

१. वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, १९७२ (डब्लू.एल.पी.ए.)[३] के तहत कितने प्रकार के संरक्षित क्षेत्र बताये गये हैं?

डब्लू.एल.पी.ए. के २००२ के संशोधन के तहत संरक्षित क्षेत्र का अर्थ एक राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, 'संरक्षित रिज़र्व' (कॉन्जर्वेशन रिज़र्व) या 'समुदायिक रिज़र्व' (कम्युनिटी रिज़र्व) से है जिसे अधिनियम की धारा १८, ३५, ३६क तथा ३६ग के अंतर्गत अधिसूचित किया जाता है। 'व्याघ्र (बाघ) आरक्षित क्षेत्र' (टाईगर रिज़र्व) को भी संरक्षित क्षेत्रों की श्रेणी में डब्लू.एल.पी.ए., २००६ के संशोधन द्वारा जोड़ा गया। डब्लू.एल.पी.ए. में संरक्षित क्षेत्रों के विभिन्न श्रेणीयों को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया हैं:

राष्ट्रीय उद्यान:– डब्लू.एल.पी.ए. का अध्याय खत धारा ३५(१):–

राज्य सरकार किसी क्षेत्र को (चाहे वह अभयारण्य के अंदर हो या नही) राष्ट्रीय उद्यान के रुप मे अधिसूचित कर सकती है। यदि राज्य सरकार को यह लगता है कि कोई क्षेत्र निम्नलिखित पहलुओं या क्षेत्र के महत्व का है,

- स्थानीय परिस्थितिकीय या पर्यावरणीय महत्व का,
- जानवरों तथा वनस्पतियों के महत्व का,
- भू–गर्भ संबंधी महत्व का,
- या जीव–जंतुओ से संबंध के महत्व का,
- या वन्यजीव या उनसे जुड़े पर्यावरण के उस क्षेत्र मे संरक्षित तथा फैलाव या विकास के उद्देश्य से महत्व का है।

वन्यजीव अभयारण्य: डब्लू.एल.पी.ए. का अध्याय खत धारा १८(१):–

- राज्य सरकार आरक्षित वन (रिज़र्व फॉरेस्ट) या प्रादेशिक जल क्षेत्र को छोडकर किसी भी क्षेत्र को अधिसूचना के द्वारा अभयारण्य घोषित कर सकती है।
- राज्य सरकार द्वारा ऐसी अधिसूचना जारी करने के लिये यह आवश्यक है कि जिस क्षेत्र को अभयारण्य घोषित करना है वह क्षेत्र वन्यजीव या इनसे जुड़े पर्यावरण को संरक्षित तथा फैलाव या विकास करने के उद्देश्य से परिस्थतकीय या पर्यावरण, जानवरों, वनस्पतियों, भू–गर्भ संबंधी या जीव–जंतु के महत्व का है।
- आरक्षित वनों को सीधे घोषित किया जा सकता हैं क्योकि यह मान लिया गया है कि सरकार द्वारा इन वनों को आरक्षित या राष्ट्रीयकृत करने के समय में सभी अधिकारों का निपटारा कर लिया गया था।

संरक्षित रिज़र्व : डब्लू.एल.पी.ए. की धारा ३६क(१):–

राज्य सरकार किसी भी सरकारी क्षेत्र विशेष को स्थानीय समुदायों के परामर्शो के बाद संरक्षित रिज़र्व घोषित कर सकती है। यह क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जो राष्ट्रीय उद्यानों तथा अभयारण्यों से लगे होते है और एक संरक्षित क्षेत्र को दूसरे संरक्षित क्षेत्र से जोडते है। संरक्षित रिज़र्वों की स्थापना के पीछे यह उद्देश्य होता है कि भू–दृश्यों, समुद्री दृश्यों, जानवरों तथा वनस्पतियों और उनके आवासों (स्थान) को संरक्षित किया जा सके।

३ अंग्रेजी में इसे Wild Life Protection Act, 1972 या (WLPA) कहते है। हमने WLPA का हिंदी में रुपांतर डब्लू.एल.पी.ए किया है।

सामुदायिक रिज़र्व : डब्लू.एल.पी.ए. की धारा ३(ग):–

समुदाय या व्यक्ति ने स्वेच्छा (अपनी इच्छा) से वन्यजीवों तथा उनके आवासों (निवास स्थानों) का संरक्षण ऐसी किसी भी भूमि (स्थान) पर किया है जो निजी या सामुदायिक है तो राज्य सरकार उस स्थान को सामुदायिक रिज़र्व घोषित कर सकती है। सामुदायिक रिज़र्व ऐसा सामुदायिक या निजी क्षेत्र होता है जो राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य या संरक्षण क्षेत्र की सीमा से बाहर होता है। सामुदायिक रिज़र्व की स्थापना का उद्देश्य जानवरों, वनस्पतियों तथा पारंपरिक तथा सांस्कृतिक संरक्षण के मूल्यों तथा कार्य प्रणाली (तरीकों) का संरक्षण करना है।

व्याघ्र (बाघ) आरक्षित क्षेत्र: डब्लू.एल.पी.ए. (संशोधन, २००६) की धारा ३८ ङ(४) :–

एक बाघ आरक्षित क्षेत्र के तहत:–

क. राष्ट्रीय उद्यानों तथा अभयारण्यों के कोर या संकटपूर्ण बाघ आवासों (सी.टी. एच.)[४] की स्थापना राज्य सरकार द्वारा इस विषय पर गठित विशेषज्ञ समिति के परामर्श के आधार पर अधिसूचना द्वारा की जाती है। इन क्षेत्रों की स्थापना वैज्ञानिक तथ्यों और उद्देश्यों के आधार पर बाघ संरक्षण के उद्देश्य से किसी भी हस्ताक्षेप से मुक्त रखने के लिये की जाती है। इन क्षेत्रों की अधिसूचना जारी करने के पहले यह सुनिश्चित किया जाना जरुरी है कि जनजातियों या अन्य वनवासियों के अधिकारों को किसी प्रकार के प्रभाव से मुक्त रखा गया है।

ख. बफर या परिघीय क्षेत्र संकटपूर्ण बाघ आवासों या कोर क्षेत्र के चारों ओर एक निर्धारित क्षेत्र होता है। बफर क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जहां संकटपूर्ण बाघ आवासों के साथ–साथ बाघों की प्रजातियों के पर्याप्त वितरण (फैलाव) को पूरी तरह से सुनिश्चित करने के लिये कम संरक्षण की आवश्यकता होती है। इस बफर क्षेत्र मे लोगों की जीविका, विकास, सामाजिक–सांस्कृतिक अधिकारों के साथ वन्यजीव तथा मानवीय कार्यों के सहअस्तित्व के उद्देश्यों को बढाना है। बफर क्षेत्र की सीमाओं का निर्धारण वैज्ञानिक तथा उद्देश्यों के आधार पर संबंधित ग्राम सभा और इस उद्देश्य के लिये गठित विशेषज्ञ समिति से परामर्श के द्वारा होता है। बफर क्षेत्र की पहचान तथा स्थापना प्रावधानों के तहत उपरोक्त बतायी गयी व्याख्या के आधार पर होती है।

२ क्या एफ.आर.ए. संरक्षित क्षेत्रों (पीए)[५] के उपरोक्त सभी वर्गों में लागू होता हैं?

संरक्षित क्षेत्र के विभिन्न वर्गों में एफ.आर.ए. की प्रासंगिकता या उपयुक्तता के बारे में इस कानून में स्पष्ट रुप से कोई अंतर नही किया गया है। एफ.आर.ए. की धारा २(घ) में 'वन भूमि' की परिभाषा के अनुसार 'वन भूमि' से किसी वन क्षेत्र के अंतर्गत आनेवाली किसी भी प्रकार की भूमि अभिप्रेत है और जिसके अंतर्गत 'अवर्गीकृत वन', 'असीमांकित वन', 'समझे गए वन', 'संरक्षित वन', 'आरक्षित वन' और 'राष्ट्रीय उद्यान' भी शामिल है ।

४ अंग्रेजी में इसे Critical Tiger Habitat या (CTH) कहते है। हमने CTH का हिंदी में रुपांतर सी.टी.एच. किया है।

५ अंग्रेजी में इसे Protected Area या (PA) कहते है। हमने PA का हिंदी में रुपांतर पीए किया है।

एफ.आर.ए. धारा २ (क) मे बतायी गयी 'सामुदायिक वन संसाधन' की परिभाषा में गांव की पारंपरिक तथा प्रचलित सीमाओं के अंदर प्रचलित वन भूमि के परिवेश या क्षेत्र में चारागाही समुदायों के मौसमी उपयोग को शामिल किया गया है। प्रचलित वन भूमि के अंतर्गत आरक्षित वन, संरक्षित वन तथा संरक्षित क्षेत्र जैसे अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान को शामिल किया गया है जिन पर समुदायों की परंपरागत पहुंच थी। परिभाषा से स्पष्ट है कि एफ.आर.ए. राष्ट्रीय उद्यानों वन्यजीव अभयारण्यों मे लागू होता हैं। डब्लू.एल.पी.ए. के अंदर बतायें गये अन्य संरक्षित क्षेत्रों जैसे 'संरक्षित रिज़र्व', 'सामुदायिक रिज़र्व' एवं 'बाघ आरक्षित क्षेत्र' का स्पष्ट रुप से उल्लेख एफ.आर.ए. में नहीं किया गया है। परंतु, एफ.आर.ए. में सामुदायिक वन संसाधनों की परिभाषा में 'राष्ट्रीय उद्यानों' एवं 'अभयारण्यों' जैसे संरक्षित क्षेत्रों का उल्लेख किया गया हैं। चूँकि डब्लू.एल.पी.ए. में 'संरक्षित रिज़र्व', 'सामुदायिक रिज़र्व' तथा 'बाघ आरक्षित क्षेत्र' को संरक्षित क्षेत्रों में शामिल किया गया है, अत: यह अंतर्निहित है कि अन्य संरक्षित क्षेत्रों में भी लागू होता हैं।

३ संकटपूर्ण वन्यजीव आवास (सी.डब्लू. एच.)[६] क्या है? एफ.आर.ए. के तहत निर्धारण की प्रक्रिया क्या है?

एफ.आर.ए. की धारा २(ख) के अनुसार 'संकटपूर्ण वन्यजीव आवास' राष्ट्रीय उद्यानों के अंदर ऐसे क्षेत्र होते है जिसे वन्यजीव संरक्षण के उद्देश्यों के लिये किसी भी प्रकार के हस्ताक्षेप से मुक्त (स्वतंत्र) रखा जाता है। ऐसे क्षेत्र की स्थापना वैज्ञानिक और उद्देश्यों की कसौटी के आधार पर की जानी चाहिए। संकटपूर्ण वन्यजीव आवास की स्थापना केन्द्रीय वन मंत्रालय इस विषय पर गठित विशेषज्ञ समिति के साथ खुली प्रक्रिया से परामर्श के आधार पर अधिसूचना जारी करके करता है। विशेषज्ञ समिति मे सरकार द्वारा विषय एवं स्थान के विशेषज्ञ की नियुक्ति की जाती है। इन क्षेत्रों को स्थापित करने की प्रक्रिया मे एफ.आर.ए. की धारा ४ की उपधारा (१) और (२) में बतायी गयी प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक है। इस पूरी प्रक्रिया में जनजातीय मंत्रालय का एक प्रतिनिधि को शामिल करने का भी प्रावधान है।

एफ.आर.ए. के तहत अधिकारों के पहचान, मान्यता और अधिकारों को दिये जाने से जुड़ी सभी प्रक्रियाएँ प्रस्तावित सी.डब्लू.एच. क्षेत्रों पर लागू होती हैं। एफ.आर.ए. की धारा ४(२) में संकटपूर्ण वन्यजीव आवासों के निर्धारण से जुड़ी प्रक्रिया को बताया गया है जिसके लिए कुछ निश्चित शर्तो का पालन होना अनिवार्य है।

एफ.आर.ए. के अनुसार राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के संकटग्रस्त वन्यजीव आवासों मे मान्यता प्राप्त वन अधिकारों में बाद में बदलाव लाया जा सकता है या वन अधिकारों को तय किया जा सकता है। लेकिन वन अधिकार धारकों को पुन:स्थापित नहीं किया जायेगा या किसी भी तरह से उनके अधिकारों पर वन्यजीव संरक्षण के लिये हस्ताक्षेप मुक्त क्षेत्रों की स्थापना के उद्देश्यों का कोई प्रभाव नही पडेगा। केवल नीचे बतायी गयी शर्तों के पूरा होने की स्थिति को छोड़कर,

---

६ अंग्रेजी में इसे Critical Wildlife Habitat या (CWH) कहते है। हमने CWH का हिंदी में रुपांतर सी.डब्लू.एच. किया है।

क) जहाँ विचारधीन सभी क्षेत्रों में धारा ६ में यथा विनिर्दिष्ट (बताये गये) अधिकारों की मान्यता और निहित करने की प्रक्रिया पूरी हो।

ख) जहाँ राज्य सरकार के संबद्ध अभिकरणों द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, १९७२ के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह स्थापित किया गया है कि अधिकारों के धारकों की उपस्थिति के वन्य पशुओं पर क्रियाकलाप या प्रभाव अपरिवर्तनीय नुकसान करने के लिए पर्याप्त है और उक्त प्रजाति के अस्तित्व और उनके निवास के लिए खतरा हैं।)

ग) जहाँ राज्य सरकार यह निष्कर्ष निकाल चुकी है कि सहअस्तित्व जैसे अन्य युक्तियुक्त (पूरी तरह से उपयुक्त) विकल्प उपलब्ध नही है ।

घ) जहाँ एक पुनर्व्यवस्थापन (पुनर्वास) या अनुकल्पी (वैकल्पिक) पैकेज तैयार और संसूचित (याने लोगोंको बतलाया गया है) किया गया है जो प्रभावित व्यक्तियों और समुदायों के लिये सुनिश्चित जीविका का प्रबंध करता है और ऐसे प्रभावित व्यक्तियों और समुदायों की उपयुक्त कानूनों और नीति में दी गयी अपेक्षाओं को पूरा करने की व्यवस्था करता है ।

ङ) जहाँ प्रस्तावित पुनर्वास और पैकेज के लिये संबद्ध क्षेत्रों की ग्रामसभाओं को इस विषय पर पूरी जानकारी पहले देकर बाद में ग्रामसभाओं से उनकी सहमति लिखित में ले ली गयी है।

च) जहाँ पुनर्वास के स्थान पर सुविधाएं और भूमि आंवटन वायदा किये गये पैकेज के अनुसार पूरी की गयी हो।

परंतु संकटग्रस्त वन्यजीव आवास, जिसमें अधिकार धारकों को इस प्रकार वन्यजीव संरक्षण के प्रयोजनों (उद्देश्यों) के लिये पुन: स्थापित किया जाता है तो बाद में राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार या किसी अन्य के द्वारा किसी अन्य उपयोगों के लिये नही दिया जायेगा।।

४ क्या एफ.आर.ए. पीए के अंदर उन क्षेत्रों में लागू होता हैं जो क्षेत्र वन विभाग के अंदर नही आते हो (यह क्षेत्र राजस्व या अन्य प्रकार की भूमि हो सकती है) ?

एफ.आर.ए. उन सभी क्षेत्रों में लागू होता हैं जो 'वन भूमि' की परिभाषा के अंदर आते है। अधिनियम वन क्षेत्रों के अर्थ को स्पष्ट नही करता है परंतु एफ.आर.ए. की प्रस्तावना से यह बात स्पष्ट होती है कि वन क्षेत्र को विस्तार से परिभाषित करने की आवश्यकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने वन भूमि की परिभाषा के विस्तार को प्रमाणित करते हुए टी. एन.गोदावर्मन थिरुमलपद बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य (१९९७) २ यस.सी. सी. के पैरा ४ में वन भूमि को परिभाषित किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने परिभाषित किया कि 'शब्दकोष (डिक्शेनरी) में पद 'वन भूमि' के अर्थ के अनुसार सभी क्षेत्र वन क्षेत्र हैं चाहे वो किसी भी मालिकाना हक के हो या और किसी भी प्रकार के हो'।

एफ.आर.ए. के उद्देश्यों के तहत धारा २(घ) की सीमित व्याख्या का कोई भी प्रयास सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून तथा अच्छी तरह से स्थापित व्याख्या के सिद्धांतों के खिलाफ या विरुद्ध होगा। यह महत्त्वपूर्ण

है कि सी.डब्लू.एच./सी.टी.एच. का गठन किसी भी वन भूमि में हो सकता है जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विस्तृत रुप से परिभाषित किया गया है एवं जिसमें एफ. आर.ए. की धारा ४(२) तथा/या डब्लू. एल.पी.ए. की धारा ३८फ (५) के लिये परिस्थिति के अनुसार रक्षा कवच होगा (यह स्पष्ट करता है कि अधिकारों का स्थांतरण या में बदलाव अधिकार धारकों की सहमति के बिना नही हो सकता हैं)।

जनजातीय कार्य मंत्रालय के गुजरात सरकार को एक पत्र, क्रमांक २३०११/ २८/२००८–यसजी–II दिनांक ३/१२/ २००८, से भ्रम की स्थिति पैदा हुई है। जिसमें राजस्व भूमि पर एफ.आर.ए. की व्यावहारिकता या प्रासंगिकता (चाहे यदि राजस्व भूमि वनों की शब्दकोष की परिभाषा में आती हो) को रवारिज किया गया है। पत्र के अनुसार, '''वन भूमि' को अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, २००६ की धारा २(घ) में परिभाषित किया गया है एवं इस परिभाषा में राजस्व भूमि को शामिल नही किया गया है। इसलिए, राजस्व भूमि जो अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासीयों के अधिकार में हैं उस भूमि को अधिनियम की धारा ४(६) के तहत निवास स्थान या स्वयं की कृषि के निर्धारण के लिए ४ हेक्टेयर की सीमा के निर्धारण में शामिल नही किया जाए। जबकि, वन भूमि के क्षेत्र के अतिक्रमण को अधिनियम की धारा ४(६) के तहत निर्धारित ४ हेक्टेयर की सीमा में शामिल किया जाना चाहिए।''

परंतु एफ.आर.ए. में वन भूमि की परिभाषा के साथ सर्वोच्च न्यायालय की वन भूमि की परिभाषा की व्याख्या को जनजातीय कार्य मंत्रालय के पत्र में शामिल नही किया गया है। इसलिए, यह आवश्यक है कि जनजातीय कार्य मंत्रालय अपने पक्ष को स्पष्ट करे।

५ क्या एफ.आर.ए. उन पीए पर लागू होता हैं जहां वन परिस्थितिकी तंत्र मौजूद नही है (जैसे समुद्री/रेगिस्तानी क्षेत्र)?

एफ.आर.ए. उन सभी क्षेत्रों में लागू होता हैं जो भौगोलिक रुप से धारा २(घ) के अंदर परिभाषित 'वन भूमि' के तहत आता है। ('वन भूमि' एवं 'सामुदायिक वन संसाधन' की परिभाषा के लिये बिंदु २ देखे) जिसमें राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य शामिल हैं।

अधिकारों को धारा ३(घ) मे बताया गया हैं जिनमें 'घुमंतू (यायावरी) या चारागाही समुदायों की मत्स्य (मछली) और जलाशयों के अन्य उत्पाद, चारागाह (स्थापित एवं घुमंतू) दोनों के उपयोग या उन पर हकदारी और पारंपरिक मौसमी संसाधनों तक पहुंच के अन्य सामुदायिक अधिकार' शामिल हैं। साफ तौर पर अधिनियम जलाशयों के उपयोग (जिसमें मछली एवं अन्य उत्पाद भी शामिल हैं) को वन अधिकारों के रुप में मान्यता देता हैं। एफ.आर.ए. की धारा ५ वन अधिकार धारकों को न केवल उन क्षेत्रों मे वन्यजीव, वन एवं जैवविविधता के संरक्षण के लिए सशक्त (मजबूत) करता है बल्कि ''यह सुनिश्चित करता है कि लगा हुआ जल क्षेत्र, जल स्रोत और परिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र पर्याप्त रुप से संरक्षित है।''

६ क्या एफ.आर.ए. के तहत पीए में अधिकारों के लिए दावा करने और देने के लिए बतायें गए प्रावधान अन्य क्षेत्रों (पीए के अलावा क्षेत्र) के प्रावधानों से अलग हैं?

पीए और अन्य क्षेत्रों में अधिकारों के लिए दावे एवं अधिकारों को दिये जाने से जुड़े प्रावधान एक जैसे है। जबकि, अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यानों में कोर/संकटग्रस्त बाघ आवासों (सी.टी.एच.) या संकटग्रस्त वन्यजीव आवासों (सी.डब्लू.एच.) के गठन की स्थिति में अधिकारों मे तबदीली या समझौते की संभावना हैं। परंतु एफ.आर.ए. की धारा ४(२) एवं डब्लू.एल.पी.ए. की धारा ३८(५) के तहत अधिकारों में कोई भी बदलाव या समझौता संबंधित समुदाय को स्वतंत्र रुप से सूचित मंजूरी के बिना नही किया जा सकता है।

७ क्या एफ.आर.ए. उन पीए में लागू होता है जहां पहले ही अधिकारों का निपटारा डब्लू.एल.पी.ए. के तहत एफ. आर.ए. के अध्यादेश जारी होने के पहले हो चुका था?

उन गांवों में जहां एफ.आर.ए. के तहत अधिकारों की मान्यता या पहचान की प्रक्रिया नही हुई है तो ग्रामीण (गांव निवासी) एफ.आर.ए. के तहत अधिकारों का दावा करने के लिए योग्य है। इसके बावजूद भी कि उन गांवों में डब्लू. एल.पी.ए. के तहत अधिकारों का निपटारा हो चुका हो। डब्लू.एल.पी.ए. में अधिकारों के निपटारे एवं अधिकारों की मान्यता से जुड़ी साफ एवं विस्तृत प्रक्रियां को नहीं बताया गया है। अधिकतर स्थितियों में अधिकारों का निपटारा अधिकारों पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर होता है। जिनका अक्सर (प्राय:) लिखित प्रमाण पूरी तरह से उपलब्ध नही होता है और इनसे भूमि अधिकार तथा रीति पर आधारित अधिकार तथा उपयोग का सही मायनों में प्रदर्शन (झलक) नही मिलता है। इसलिए, अधिकारों का निपटारा ऐतिहासिक अन्याय प्रक्रिया का एक भाग रहा है, जैसा कि प्रस्तावना में बताया गया है।

जहां ग्रामसभा यह समझती है कि अधिकारों का निपटारा उचित तरीके से नही हुआ है,वहां अधिकारों को मान्यता देने की शुरुआत ग्रामसभा द्वारा किसी भी गांव मे की जा सकती है।

संरक्षित क्षेत्र के लिए अधिसूचना तब तक जारी नही की जा सकती जब तक कि अधिकारों का निपटारा पूरा न कर लिया गया हो। यह स्पष्ट नही है कि फाइनल (अंतिम) अधिसूचना एफ.आर.ए. के तहत अधिकारों को मान्यता मिल जाने के बाद जारी की जा सकती है या फिर फाइनल अधिसूचना जारी करने के लिए यह आवश्यक होता है कि डब्लू. एल.पी.ए. के तहत अधिकारों का निपटारा हो चुका हो।

उन गांवों में जहां पुनर्वास एफ.आर.ए. के अधिसूचित (लागू) होने के पहले हो चुका हैं तो उस स्थिति में ग्रामीण (गांव निवासी) मौलिक (मूल–भूत) वनों में अधिकारों के लिए दावा कर सकते है(यदि दावा वाली वन भूमि १३ दिसंबर २००५ को उपयोग में हो या वो यह सिद्ध (प्रमाणित) कर दे कि १३ दिसंबर २००५ के पहले उनको कानूनी अधिकार को बिना दिए उनको गांव से गैरकानूनी तरीके से बेदखल या विस्थापित किया गया था)।

८ क्या एफ.आर.ए. की धारा ३(१) के अंदर बताये गये सभी अधिकारों को पीए में दावा किया जा सकता हैं?

हाँ, एफ.आर.ए. की धारा ३(१) में बताये गये सभी अधिकारों को पीए में दावा किया जा सकता हैं।

९ क्या धारा ३(२) के तहत पीए में सभी सामुदायिक सुविधाएँ दी जा सकती हैं? यदि दी जा सकती हैं तो कौन सी शर्तो को लगाया जा सकता हैं?

धारा ३(२) के तहत पीए में सभी अधिकारों के लिए दावा किया जा सकता है। इन अधिकारों के दावा करने की प्रक्रिया को जनजातीय कार्य मंत्रालय के १८ मई २००९ के पत्र में बताया गया है। यह प्रक्रिया संरक्षित क्षेत्र के अंदर और बाहर रहने वालों के लिए एक जैसी है।

धारा ३(२) के तहत अधिकारों के लिए दावा करने कि प्रक्रिया–

१. वन भूमि का उपयोग करने वाली कोई भी संस्था (सरकारी संस्था) जो वन भूमि का उपयोग एफ.आर.ए. की धारा ३(२) में बताये गए विकास के कार्य के लिए करना चाहती है तो यह आवश्यक है कि वह संस्था परियोजना प्रस्ताव (जैसा कि प्रारुप (फार्म–अ) में बताया गया है) को प्रस्तुत करें। तथा परियोजना प्रस्ताव को निर्धारित फार्म में गांव की ग्रामसभा की संबंधित आमसभा (जिसमें कम से कम आधे सदस्यों का कोरम हो) के सामने रखे।

२. इसके बाद उपयोग करनेवाली संस्था ग्रामसभा के विचार को परियोजना प्रस्ताव के साथ क्षेत्रीय वन अधिकारी (आर.एफ.ओ.) को भेजेगी। आर.एफ.ओ. परियोजना प्रस्ताव एवं ग्रामसभा के विचार मिलने के बाद प्रस्तावित क्षेत्र का निरीक्षण करेगा।

३. उपयोग करने वाली संस्था से रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद रेंज फॉरेस्ट अफसर (आर.एफ.ओ.) तीन हफ्तें (सप्ताह) के अंदर परियोजना प्रस्ताव, ग्रामसभा का विचार (संकल्प) एवं अपने निरिक्षण से प्राप्त विचारों को (जैसा कि प्रारुप–२९ में बताया गया है) संलग्न कर जिला वन अधिकारी (डी.एफ.ओ.)[७] को भेजेगा।

४. यदि डी.एफ.ओ. मंजूरी देता है तो इस निर्णय को दो सप्ताह के भीतर आर.एफ.ओ. को भेज दिया जायेगा। डी.एफ.ओ. से मंजूरी का निर्णय मिलने के बाद आर.एफ.ओ. वन भूमि के उस क्षेत्र का सीमांकन करता है जिस क्षेत्र को हस्तान्तरित करने की मंजूरी मिली है। आर.एफ.ओ. ग्रामसभा के पर्यविक्षण (देख–रेख) में उपयोग करने वाली संस्था को सौपता या देता है।

५. यदि डी.एफ.ओ. परियोजना को मंजूरी नही देता है तो वह इसे जिलास्तरीय समिति (डी.एल.सी.)[८] को (एफ. आर.ए., नियम २००८ के नियम ७

७ अंग्रेजी में इसे Divisional Forest Officer या (DFO) कहते है। हमने DFO का हिंदी में रुपांतर डी.एफ.ओ. किया है।

८ अंग्रेजी में इसे District Level Committee या (DLC) कहते है। हमने DLC का हिंदी में रुपांतर डी.एल.सी. किया है।

के तहत) भेज देता है। डी.एल.सी. अंतिम निर्णय लेगी और डी.एफ.ओ. को बतायेगी।

उपयोग करनेवाली संस्था को इस शर्त पर वन भूमि का आवंटन होता है कि इसका उपयोग परियोजना प्रस्ताव मे बताये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिये नही होगा। यदि भूमि का उपयोग नही होता है तो वन विभाग द्वारा इसे वापस ले लिया जायेगा। केन्द्रीय अधिकारी द्वारा आवश्यक तौरपर वन भूमि के हस्तान्तरण की प्रगति एवं रिकार्ड पर निगरानी रखी जाती है जिसे अनिवार्य तौर पर एम.ओ.टी.ए. और एम.ओ.ई.एफ. को बतलाया जाता है।

१० क्या अधिकारों के दावों की प्रक्रिया से जुड़ी संस्थायें पीए के अंदर और बाहर समान रुप से जुड़ी हैं?

पीए में अधिकारों के दावों की प्रक्रिया से जुड़ी संस्थायें वही संस्थायें हैं जो पीए के बाहर भी अधिकारों के दावों की प्रक्रिया से जुड़ी है। अधिकारों के दावों के लिए स्थापित संस्थायें हैं[९]:

(१) ग्रामसभा का आयोजन प्रत्येक गांव में ग्रामपंचायत द्वारा किया जायेगा और इसके पहले अधिवेशन में वन अधिकार समिति (एफ.आर.सी.)[१०] का गठन किया जायेगा। जिसके लिए ग्रामसभा प्रस्ताव पास कर इसका गठन करेगी।

ग्रामसभा क्या है?

एफ.आर.ए. की धारा २(छ) के अनुसार ग्रामसभा गांव के सभी वयस्कों से मिलकर बनती है। ऐसी स्थिति में जिन राज्यों मे कोई ग्रामपंचायत नही है तो वहां पाडा, टोला और ऐसी अन्य परंपरागत गांव की संस्थायें तथा ग्राम समितियों को शामिल किया गया है। ग्रामसभा तथा अन्य बतायी गयी उपरोक्त संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी बिना किसी बाधा के पूरी तरह से हो।

गांव (ग्राम) को एफ.आर.ए. की धारा २(त) में इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि (१) पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, (पी.ई.यस.ए–पीसा) १९९६ की धारा ४ के खंड (ख) में निर्दिष्ट (बताया गया) कोई ग्राम, या (२) अनुसूचित क्षेत्रों के अलावा पंचायतों से संबंधित किसी राज्य विधि में ग्राम के रुप में बताया गया कोई क्षेत्र, या (३) वनग्राम पुरातन निवासी या बस्तियां और असर्वेक्षित ग्राम चाहे वे ग्राम के रुप में अधिसूचित हो या नहीं, या (४) उन राज्यों में जहां कोई पंचायत नहीं हैं, पारंपरिक ग्राम, चाहे वे किसी भी नाम से जाने जाते हों

(२) वन अधिकार समिति: (एफ.आर.सी.) में ग्राम सभा के सदस्यों में से कम से कम १० और अधिक से अधिक १५ सदस्य शामिल होते हैं (जिसमें से एक तिहाई महिला सदस्य अनुसूचित जनजातियों से होगी)।

एफ.आर.सी. दावों को करने की प्रक्रिया को सहज या आसान बनाने के लिए काम करेगी।

९ जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी एफ.आर.ए., २००८ अधिसूचना।

१० अंग्रेजी में इसे Forest Rights Committee या (FRC) कहते है। हमने FRC का हिंदी में रुपांतर एफ.आर.सी. किया है।

(३) उपखंड स्तर की समिति (यस.डी. एल.सी.)[११] : राज्य सरकार निम्नलिखित सदस्यों के साथ उपखंड स्तर की समिति का गठन करेगी,

- उपखंड अधिकारी या समतुल्य (बराबर का) अधिकारी – अध्यक्ष
- उपखंड का प्रभारी वन अधिकारी या समतुल्य अधिकारी
- ब्लाक या तहसील स्तर की पंचायतों के तीन सदस्य जिन्हें जिला पंचायत द्वारा निर्देशित किया जायेगा। जिनमें से कम से कम दो अनुसूचित जनजातियों के होगे और जो अनिवार्य रुप से वन में निवास करते हो या जो आदिम जनजातिय समूहों के हैं। जहां कोई अनुसूचित जनजातियां नही है वहां ऐसे दो सदस्य हो जो अन्य परंपरागत वन निवासी है और एक महिला सदस्य भी होगी।
- जनजातीय कल्याण विभाग का उपखंड का प्रभारी अधिकारी

यस.डी.एल.सी. का कार्य दावों को जाँच (परीक्षण) करना एवं उनको जिला स्तरीय समिति को भेजना है।

(४) जिला स्तर की समिति (डी.यल.सी.): राज्य सरकार निम्नलिखित सदस्यों के साथ जिला स्तर की समिति का गठन करेगी,

- जिला कलेक्टर या उपायुक्त – अध्यक्ष
- संबद्ध खंड वन अधिकारी/संबद्ध उपवन संरक्षक
- जिला स्तर की पंचायत के तीन सदस्य, जिनमें कम से कम दो सदस्य अनुसूचित जनजातियों के होगे (वननिवासी जनजातीय समूह/आदिम जनजातीय समूह/अन्य परंपरागत वननिवासी) और एक महिला सदस्य होगी
- जनजातीय कल्याण विभाग का जिले का प्रभारी अधिकारी

डी.एल.सी. का कार्य किये गये दावों पर अंतिम (फाइनल) निर्णय लेना है।

(५) राज्य स्तर की निगरानी समिती (यस.यल.एम.सी.)[१२] :– राज्य सरकार निम्नलिखित सदस्यों के साथ राज्य स्तर की निगरानी समिति का गठन करेगी,

- मुख्य सचिव – अध्यक्ष
- सचिव, राजस्व विभाग
- सचिव, जनजातिय या समाज कल्याण विभाग
- सचिव, वन विभाग
- सचिव, पंचायती राज
- प्रधान मुख्य वन संरक्षक
- जनजातीय सलाहकार परिषद के तीन अनुसूचित जनजातीय सदस्य
- आयुक्त, जनजातीय कल्याण – सदस्य सचिव

११ अंग्रेजी में इसे State District Level Committee या (SDLC) कहते है। हमने SDLC का हिंदी में रुपांतर यस.डी.एल.सी. किया है।

१२ अंग्रेजी में इसे State Level Monitoring Committee या (SLMC) कहते है। हमने SLMC का हिंदी में रुपांतर यस.यल.एम.सी. किया है।

यस.यल.एम.सी. का कार्य प्रक्रिया पर निगरानी रखना है और यह सुनिश्चित करना है कि संबद्ध लोगों मे से किसी के द्वारा कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन नही किया जाए।

(६) एफ.आर.ए. की धारा ११ के अनुसार 'जनजाति मामलों से संबंधित भारत सरकार का मंत्रालय या केंद्रीय सरकार द्वारा अधिकृत कोई अधिकारी या प्राधिकरण इस अधिनियम के प्रावधानों या उपबंधों के क्रियान्वयन के लिए नोडल अभिकरण (केन्द्रीय संस्था) होगा।'

११ वन अधिकारों के दावे एवं दावों के सत्यापन से जुड़ी प्रक्रिया में वन विभाग की क्या भूमिका है?

एफ.आर.ए. के तहत पीए में अधिकारों के लिए दावों से जुड़ी प्रक्रिया में वन विभाग की कोई विशेष या अलग से भूमिका का उल्लेख नही किया गया है। वन विभाग का प्रतिनिधित्व यस.यल.एम.सी. और डी.यल.सी. में हैं जहां (इन संस्थानों में) आवश्यक है कि दावों के महत्व पर चर्चा हो। यह भी अपेक्षित है कि एफ.आर.सी. द्वारा किये जाने वाले दावों के स्थान पर जाँच या सत्यापन की प्रक्रिया में वन विभाग भागीदारी करेगा।

१२ एफ.आर.ए. के तहत पीए में एक बार अधिकारों के सुनिश्चित हो जाने के बाद क्या अधिकारों में पीए क्षेत्र के लिए डब्लू. एल.पी.ए. के तहत सी.डब्लू.एच. को छोडकर बदलाव लाया जा सकता है?

सी.डब्लू.एच. धारा २(ख) और धारा ४(२) की परिभाषा से स्पष्ट है कि राष्ट्रीय उद्यानों तथा अभयारण्यों में केवल सी.डब्लू.एच. के गठन में केवल ग्रामसभा की स्वीकृति के बाद ही अधिकारों में बदलाव लाया जा सकता हैं। डब्लू.एल.पी.ए. की धारा ३८फ(४) एवं(५) के द्वारा संकटपूर्ण बाघ आवासों (सी.टी.एच.) के गठन में अधिकारों मे बदलाव के लिए इस अधिनियम का उपयोग किया जा सकता हैं। डब्लू.एल.पी.ए. अधिकारों मे बदलाव तथा/या पुनर्वास के पहले अधिकारों को मान्यता देने और ग्रामसभा की मंजूरी को वैधानिक (कानूनी) आवश्यकता को बतलाता हैं।

१३ उन सामुदायिक वन अधिकारों (सी.एफ. आर.) का क्या होगा जिनके लिए पीए के अंदर दावा किया जा चुका है? क्या पीए कानून इन क्षेत्रों में भी लागू होगे?

एफ.आर.ए. के द्वारा सामुदायिक वन अधिकारों के लिए संरक्षित और असंरक्षित क्षेत्रों के बीच कोई अंतर नही किया गया हैं। जैसा कि धारा २(क) में बतायी गयी 'सामुदायिक वन संसाधनों' की परिभाषा से स्पष्ट है जो वनवासियों के 'परंपरिक सीमाओं' पर जोर देती हैं। यह सीमाएँ पीए के अंदर एवं बाहर दोनो हो सकती हैं।

अधिनियम की धारा १३ के प्रावधान इसमें अतिरिक्त हैं न कि इसमें से किसी अन्य कानून के तहत कुछ अलग किया जाता है। एफ.आर.ए. की धारा ४(१) में बतायी गयी बहुत से कारणों को पूर्व में (एफ.आर.ए. के पहले) गैरकानूनी समझा जाता होगा उन्हे बाद में एफ.आर.ए. के तहत पट्टों के दिये जाने के बाद कानूनी अधिकारों के रुप में पहचाना जा सकता है। अधिनियम की धारा ३(१) (झ) एवं धारा ५ में यह प्रावधान है कि अधिकारों के

धारक अपने अधिकार क्षेत्र के वनों में संरक्षण, पुन:जीवित एवं प्रबंधन के लिए अधिकृत या जिम्मेदार है। एफ.आर.ए. के तहत गठित ग्राम वन सुरक्षा समिति के उद्देश्य वही है जो वन विभाग के है। विवाद उन स्थितियों में पैदा होता है जब प्रबंधन के कार्यों को लेकर ग्राम समिति एवं वन विभाग के बीच विरोधाभास रहता है जैसे वनों की आग, स्थानान्तरित कृषि तथा व्यवसायिक उद्देश्यों के लिए संग्रह या एकत्र किये गये वन संसाधनों का उपयोग आदि। इन परिस्थितियों को कैसे हल किया जाएगा इस विषय पर अधिनियम के वर्तमान प्रावधानों से स्पष्ट नहीं है जिसके लिए और भी स्पष्टीकरण की आवश्यकता है।

१४ क्या एफ.आर.ए. उन पीए में लागू है जहां पुनर्वास पहले ही योजनाबद्ध किया जा चुका है? क्या पीए से पुनर्वास के विरोध में एफ.आर.ए. का उपयोग कर सकते है, यदि हां तो कैसे?

एफ.आर.ए. उन पीए के साथ उन क्षेत्रों में भी लागू होता है जहां पुनर्वास एफ.आर.ए. के पहले योजनाबद्ध किया गया था या करने की प्रक्रिया चालू थी। एफ.आर.ए. की धारा ४(२) (जिसके अनुसार इन क्षेत्रों से पुनर्वास विशेष शर्तों के तहत होता हैं जैसा कि बिंदु ३ में बताया गया है) केवल संकटपूर्ण वन्यजीव आवासों पर लागू होता हैं। यह किसी अन्य क्षेत्रों मे अधिकारों में बदलावों (जो पुनर्वास के लिए आवश्यक होगे) को नही बतलाता है। धारा ४(५) मे बताया गया है कि 'जैसा अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय किसी वन में निवास करनेवाली अनुसूचित जनजाति या अन्य परंपरागत वन निवासियों का कोई सदस्य उसके अधिभोग या उपयोग वाली वन भूमि से तब तक बेदखल नहीं किया जायेगा जब तक कि मान्यता और सत्यापन प्रक्रिया पूरी नही हो जाती है।'

सी.टी.एच. से पुनर्वास के लिए प्रक्रिया तथा शर्तो को डब्लू.एल.पी.ए., २००६ की धारा ३८फ(५) में बताया गया है (जिसे एफ.आर.ए. के साथ पढा जाना चाहिए (देखे बिंदु १२))। परंतु , प्रक्रियाओं पर और ज्यादा स्पष्टता की आवश्यकता है। एफ.आर.ए. के प्रावधानों को और प्रस्तावना को साथ पढ़ने से ऐसा प्रतीत या जान पडता है कि वन भूमियों (संरक्षित क्षेत्रों के अंदर या बाहर) से आगे (भविष्य में) पुनर्वास कम से कम अधिकारों की मान्यता एवं गांव से परामर्श तथा उसकी मंजूरी के पहले नही हो सकता है।

१५ क्या भूमि अधिग्रहण के प्रावधानों को पीए से पुनर्वास तथा सी.टी.एच. के गठन के लिए किया जा सकता है?

अधिनियम की धारा ४(५) के तहत वन निवासियों को उस वन भूमि से (जो उनके अधिकार में है), तब तक बेदखल नही किया जा सकता है जब तक कि अधिकारों को मान्यता देने की प्रक्रिया पूरी नही हो जाती है। एक बार प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद वन अधिकारों के अधिग्रहण से जुड़े कानून का विशेष परिस्थितियों में अनुसरण (पालन) करना होगा।

वर्तमान में यह पूरी तरह से स्पष्ट नही है कि एफ.आर.ए. द्वारा निर्धारित किए गए अधिकार अन्य भूमि अधिकारों से अलग है या नही। पहले बताये गए अधिकारों को अधिकार धारक किसी को हस्तांतरित नही कर सकते

हैं ऐसा कहा जाता है: क्या इसका यह मतलब है कि विशिष्ट या उत्कृष्ट क्षेत्र के सिद्धांतों का उपयोग कर सरकार इन अधिकारों को अपने अधिकार में नही ले सकती है? इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता है या इसे न्यायालय द्वारा उदाहरण से या सरकार द्वारा वर्गीकरण देकर सुलझाया जा सकता है।

लेजिस्लेशन ब्रीफ **जून २०१२**

अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, २००६ (प्रचलित नाम) वन अधिकार अधिनियम (एफ.आर.ए.) का संरक्षित क्षेत्रों (पीए) में प्रासंगिकता या उपयुक्तता

यह लेख नीमा पाठक तथा शीबा देसोर द्वारा, शोमोना खन्ना (अधिवक्ता, सर्वोच्च न्यायालय, भारत) की कानूनी सलाह एवं मीनल तत्पति, आशीष कोठारी, तुषार दश, कांची कोहली और मिलिंद वाणी के सहयोग से तैयार किया गया है।

कल्पवृक्ष द्वारा प्रकाशित
कल्पवृक्ष, अपार्टमेन्ट, ५ श्री दत्त कृपा
९०८ डेक्कन जिमखाना, पुणे–४११००४
फोन: ९१–२०–२५६७५४५० । फैक्स: ९१–२०–२५६५४२३९
ईमेल: kvoutreach@gmail.com

वेवसाइट: www.kalpavriksh.org

अनुवाद: विकल समदरिया

संपादक: मिलिंद वाणी

संपादकीय सहयोग: अनुराधा अर्जुनवाडकर

आर्थिक सहयोग: मिज़रिओर, आचेन, जर्मनी

निजी वितरण के लिये
प्रकाशित विषयवस्तु (प्रिंटेड़ मॅटर)
बुक पोस्ट
सेवा में –